कार्यालय नगर पालिका परिषद, सिद्धार्थनगर

पत्रांक :–353(4)/न0पा0परि0सि0न0 / 2019–20 दिनॉक 23/11/2019

अल्पकालीन ई–प्रोक्योरमेंट निविदा सूचना

सर्वसम्बन्धित को सूचित किया जाता है कि नगर पालिका परिषद, सिद्धार्थनगर में विकास शुल्क की धनराशि प्राप्त होने की प्रत्याशा में नगर पालिका परिषद, सिद्धार्थनगर सीमान्तर्गत निम्न कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। उक्त कार्य का भुगतान प्रत्याशित विकास शुल्क की धनराशि / राज्य वित्त / निकाय निधि से किया जाना है। उक्त कार्य हेतु ई–निविदा आमन्त्रित किया जाता है। कार्य का विवरण निम्नवत् है–

क्र.सं.	कार्य का नाम	आगणन की धनराशि (रू0 लाख)	जमानत धनराशि (02 प्रतिशत)	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6
1	[illegible] अशोक तिराहे से बॉसी तिराहे तक मार्ग का चौड़ीकरण हेतु विद्युत पोल शिफ्टिंग का कार्य।	3185859.00	63717.00	320.00	तीन माह के भीतर

कार्य का विवरण

मुख्य शर्ते :–

1. निविदा प्रपत्र आन लाइन उपलब्ध हैं, जो आन लाइन http://etender.up.nic.inपर ही डाउनलोड व अपलोड किया जायेगा।

(A)	ई–प्रोक्योरमेन्ट के माध्यम से निविदा प्रकाशित की तिथि	24/11/2019
(B)	वेबसाइट पर ऑनलाइन निविदा डाउनलोड की तिथि	24/11/2019 प्रातः 11:00 बजे से
(C)	ई–प्रोक्योरमेन्ट के माध्यम से निविदा डालने की अन्तिम तिथि व समय	03/12/2019 अपराह्नः 03:00 बजे तक
(D)	ई–प्रोक्योरमेन्ट के माध्यम से तकनीकी निविदा खोलने की तिथि व समय	04/12/2019 प्रातः 11:00 बजे
(E)	ई–प्रोक्योरमेन्ट के माध्यम से वित्तीय निविदा खोलने की तिथि व समय	05/12/2019 प्रातः 11:00 बजे
(F)	ई–निविदा खोलने का स्थान	कार्यालय नगर पालिका परिषद, सिद्धार्थनगर

2. विस्तृत विवरण देखने हेतु http://etender.up.nic.in को खोले व निविदा डाउनलोड करें।
3. प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने की अनुमन्य अवधि कॉलम नं0 (6) में दर्शायी गयी है।
4. उपरोक्त कार्यो हेतु जमातनत धनरशि आगणन धनराशि का 10 प्रतिशत जमा करना अनिवार्य है। निविदा के साथ 02 प्रतिशत जमानत धनराशि जो कॉलम नं0 (4) में अंकित है एफ0डी0आर0 / एन0एस0सी0 / नगद जमा पुष्टि रसीद की स्कैन कॉपी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा, उक्त जमानत धनराशि अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, सिद्धार्थनगर के नाम बन्धक होगा। शेष 08 प्रतिशत जमानत धनराशि निविदा स्वीकृति के उपरान्त जमा किया जायेगा। तद्पश्चात कार्यादेश निर्गत किया जायेगा।
5. निविदा स्वीकार करने का वैधता निविदा प्राप्त करने के तिथि से तीन माह (90 दिन) होगा।
6. कार्य किसी अन्य को कदापि हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा, निविदा स्वीकृति के बाद यदि हस्तान्तरित का स्थिति प्रकाश में आता है, तो अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा।
7. निविदा डालने से पूर्व निविदादाता कार्यस्थल का निरीक्षण अवश्य कर लें। निविदा प्रपत्रों में संलग्न बिल ऑफ क्वान्टिटी में दर्शित कार्य की मात्रा घट बढ़ सकती है।
8. अधिशासी अधिकारी / अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, सिद्धार्थनगर द्वारा बिना कोई कारण बताये एवं नोटिस दिये समस्त निविदा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार निहित होगा।
9. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
10. निविदा स्वीकृति के उपरान्त ठेकेदार को स्वयं के व्यय से स्टाम्प अधिनियम के अनुरूप निर्धारित स्टाम्प पर नगर पालिका परिषद सिद्धार्थनगर के पक्ष में अनुबन्ध करना अनिवार्य होगा।
11. कार्य निर्धारित समय के अन्दर पूर्ण न करने पर नियमानुसार आर्थिक दण्ड लगाया जायेगा, जिस पर कटौती ठेकेदार के बिल से अथवा जमा जमानत धनराशि से किया जायेगा। यह दण्ड दो सप्ताह तक अधिकतम रूपया–500=00 प्रति दिन तक हो सकता है। दो सप्ताह के पश्चात् कार्य का निविदा निरस्त करने हेतु कार्यवाही किया जायेगा।
12. अपूर्ण अथवा सही ढंग से न भरी हुई निविदायें स्वीकार नहीं किया जायेगा।

13. अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष को विशेष परिस्थितियों में आवश्यकतानुसार दण्ड आरोपित करने अथवा बिना कोई दण्ड आरोपित किये समय वृद्धि करने का अधिकार होगा।
14. यह कि नगर पालिका परिषद, सिद्धार्थनगर द्वारा उक्त कार्य के सापेक्ष सुपर विजन चार्ज विद्युत विभाग को जमा कर दिया गया है। ठेकेदार को विद्युत विभाग के निर्देशानुसार कार्य करना होगा। कार्य का निरीक्षण अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष द्वारा अधिकृत सदस्यों द्वारा भी किया जा सकेगा। कार्य मानक के अनुसार न करने पर अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष के आदेशानुसार भुगतान बिल से कटौती किया जायेगा।
15. कार्य का निरीक्षण विद्युत विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जायेगा। कार्य का मानक सन्तोष जनक पाये जाने पर ही भुगतान किया जायेगा।
16. यह कि 10 प्रतिशत धरोहर राशि जमा की जायेगी, जो अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, सिद्धार्थनगर के नाम बन्धक होगा। यदि ठेकेदार द्वारा जमानत धनराशि नहीं जमा किया जाता है, तो निविदा अस्वीकृत कर दिया जायेगा। कार्य के प्रति जमा जमानत धनराशि की वापसी विद्युत विभाग द्वारा दिये गये अनापत्ति प्रमाण पत्र पाये जाने पर वापस किया जायेगा।
17. ठेकेदार/फर्म का श्रम विभाग में पंजीयन प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
18. निविदा दाता को विद्युत सुरक्षा निदेशालय से विद्युत सुरक्षा क्लास–ए का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
19. ठेकेदार के बिल से शासन के निर्देशानुसार देय करों का नियमानुसार कटौती किया जायेगा, जो ठेकेदार को मान्य होगा।
20. स्वीकृत आगणन दर से न्यूनतम/अधिक दर पर निविदा डालने वाले निविदादाता को न्यूनतम/अधिक दर पर कार्य/आपूर्ति करने का तकनीकी जस्टीफिकेशन साथ में संलग्न करना अनिवार्य है। अन्यथा यह समझा जायेगा कि निविदा मात्र निविदा प्रक्रिया बाधित करने हेतु डाला गया है, ऐसे निविदा मान्य नहीं होंगे।
21. निविदा में सम्मिलित कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण न होने पर तर्क संगत आधार पर नियमानुसार समय में वृद्धि किया जा सकेगा।
22. निविदा के साथ जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर के हस्ताक्षर से जारी हैसियत प्रमाण–पत्र एवं चरित्र प्रमाण–पत्र मान्य होंगे। किसी अन्य अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होंगे।
23. यह कि निविदा प्रपत्र मूल्य का डिमाण्ड ड्राफ्ट/जमानत धनराशि अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, सिद्धार्थनगर के पक्ष में देय होगा।
24. निविदा के साथ संलग्न 02 प्रतिशत जमानत धनराशि/जमा जमानत धनराशि रसीद की मूल प्रति, पंजीयन प्रमाण पत्र, हैसियत तथा चरित्र प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां आदि वांछित अभिलेख बंद लिफाफे में तकनीकी निविदा खुलने से पूर्व (दिनाँक 03/12/2019 को सायं 4:00बजे तक) कार्यालय नगर पालिका परिषद, सिद्धार्थनगर के निर्माण विभाग में प्रस्तुत करना अनिवार्य है, अन्यथा की दशा में उक्त का निविदा मान्य नहीं होगा।
25. प्रत्येक निविदादाता को 100.00 रूपये के स्टाम्प पर नोटरी द्वारा प्रमाणित इस आशय से स्वघोषित प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा कि निविदा के साथ संलग्न समस्त अभिलेख पूर्ण एवं सत्य है।
26. निविदा से सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय पर उपस्थित होकर प्राप्त किया जा सकता है।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
सिद्धार्थनगर

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, सिद्धार्थनगर।
2. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) महोदय, सिद्धार्थनगर।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड को इस आशय से प्रेषित कि अपने स्तर से सक्षम अधिकारी के देख–रेख में कार्य सम्पन्न कराने हेतु निर्देशित करने की कृपा करें।
4. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सिद्धार्थनगर।
5. कार्यालय नगर पालिका परिषद, सिद्धार्थनगर नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
6. दैनिक समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशन हेतु।

23/11/19

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
सिद्धार्थनगर